D. N. 300

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज.)

प्रकरण संख्या 184/2017

पप्पू बैरवा बनाम पोखर गुर्जर वगैरह

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

– आदेश :– दिनांक 16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री पप्पू बैरवा ने जरिये अभिभाषक श्री राधेश्याम शर्मा ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल खाते की भूमि ग्राम आरोलिया ग्रा0प0 आरोलिया तह0 माण्डलगढ मे आराजी नं0 392/353, 399/353, 396/353, 400/2 किता 4 रकबा 7 बीघा बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान करावे। साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् 2074 के अवलोकन से प्रार्थी उक्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद का शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम आरोलिया की आराजी न0 392/353, 399/353, 396/353, 400/2 रकबा बीघा 7 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 350/- रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी